न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

श्याम लाल बनाम कमली देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	प्रा०पत्र 251 RTA मु०नं० - 81/2023
24.03.2025	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर खारिज की जाती है। विस्तृत निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:49:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला–सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अनिल कुमार (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	:– 81 / 2023
जी0सी0एम0एस0 नम्बर	:– 163 / 2023
दायर दिनांक	:– 22.03.2023
निर्णय दिनांक	:– 24.03.2024

उनवान प्रकरण

1. श्यामलाल पुत्र स्व0 खांगाराम आयु 38 वर्ष
2. संतोष देवी पुत्री स्व0 खांगाराम आयु 45 वर्ष

समस्त जाति अहीर निवासीगण ग्राम अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. कमली देवी पुत्री नन्दाराम
2. गौरा देवी पुत्री नन्दाराम
3. मीरा देवी पुत्री नन्दाराम
4. मोहनलाल पुत्र नन्दाराम
5. रामचन्द्र पुत्र नन्दाराम
6. चोथमल उर्फ चौथू पुत्र नन्दाराम
7. जगदीश पुत्र चतराराम
8. नाथूराम पुत्र नन्दाराम

समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

9. पटवारी पटवार हल्का अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
10. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

–अप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:49:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए'
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 ::—

उपस्थिति:—

1. श्री कमल कुमार शर्मा, अभिभाषक —प्रार्थीगण की ओर से ।
2. श्री गिरीराज शर्मा, एड0 अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 की ओर से अभिभाषक।
3. तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी सं. 10 की ओर से।

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2349 रकबा 0.39 हैक्टर, 2351 रकबा 0.90 हैक्टर तन् ग्राम अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसके प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु भूमि खसरा नम्बर 2353 (सरकारी भूमि) में डामर सड़क अरनियां से कोलवा जाने वाली से होकर खसरा नम्बर 2352 की पश्चिमी सीमा के सहारे—सहारे होकर खसरा नम्बर 2349 व खसरा नम्बर 2351 में आने जाने एंव अपनी कृषि भूमि में कृषि जोत व कृषि कार्य में काम में आनले वाले फसल बिजाई एंव कटाई हेतु ट्रैक्टर व थ्रेसर आदि एंव अपनी उपज को बाजार में बेचने हेतु आवागमन में आने जाने हेतु 4 मीटर चौड़े रास्ते की प्रार्थीगण को सख्त आवश्यकता है ताकि उक्त रास्ते से होकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी शुदा भूमि में कृषि कार्य कर सके व अपने मवेशियान आदि को ले जा सके एंव कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर, उंट लढ्ढे आदि का आवागमन करते हुए अपनी कृषि भूमि का रास्ते के [illegible] रफत करते हुए अपनी कृषि भूमि की सार सम्भाल [illegible] को बाजार आदि में ले जाकर कृषि भूमि का समुचित विकास कर सके। प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:49:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

नक्शे के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने हेतु नहीं है ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता ही है। उक्त रास्ता ही लघुत्तम व निकटतम रास्ता है। इस कारण उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में व नक्शे में रास्ते के रूप मे दर्ज किया जाना है। उक्त रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण को सख्त हकतल्फी है। रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आना जाना दूभर हो जाने से नजरी नक्शे में दर्शित रास्ता उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) के तहत रास्ते बाबत न्यायालय हाजा द्वारा दिये जाने वाले दिशा निर्देशों या अधिनियम में दर्शित शर्तो की पालना हेतु प्रार्थीगण तैयार व तत्पर है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर भूमि खसरा नम्बर 2349 रकबा 0.39 हैक्टर व खसरा नम्बर 2351 रकबा 0.50 हैक्टर तन् ग्राम अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में आवागमन हेतु भूमि खसरा नम्बर 2353 (सरकारी भूमि) में डामर सडक अरनियां से कोलवा जाने वाली से होकर खसरा नम्बर 2352 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे होकर 4 मीटर चौडाई का राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में रास्ते के रूप में अंकन कराते हुए मोके पर रास्ते को आमद रफत चालू कराया जाकर रास्ता उपलब्ध कराये जाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 की ओर से श्री गिरीराज शर्मा एड0 उपस्थित आये एंव जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थीगण संख्या– 9, 10 के बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में [illegible] के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट [illegible] तहसीलदार श्रीमाधोपुर से माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्देशानुसार राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:49:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम संख्या 68–70 की अनुपालना करते हुए निर्धारित प्रपत्र में जाँच रिपोर्ट चाही जाने हेतु जरिये पत्रांक 694 रीडर / 2024 दिनांक 21.02.2024 के द्वारा लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 535 / राजस्व / 2024 दिनांक 24.05.2024 के द्वारा बिन्दूवार जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई।

प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जाँच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर वकील प्रार्थीगण ने मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील अप्रार्थीगण ने बहस सुनी जाने हेतु सहमति जाहिर की गई। वकुलाय उभय पक्षकारान् के निवेदन एंव सहमति पर प्रकरण में मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 – (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए रास्ता दिये जाने बाबत निवेदन किया। वही दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने अवगत कराया कि प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 2352 व 2353 में से रास्ता चाहा है। जिसमें खसरा नम्बर 2352 के खातेदार सजना देवी जो 1/4 हिस्से की खातेदार है को पक्षकार नहीं बनाया गया है एंव खसरा नम्बर 2353 की किस्म चारागाह दर्ज राजस्व रिकार्ड होने से जिला कलक्टर को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था, जो प्रार्थीगण द्वारा नहीं बनाया गया है। प्रकरण मे तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट में तीन रास्ते सुझाये गये है जिनमें बिन्दु संख्या 1 में वर्णित रास्ते के काम आने वाली भूमि 1800 वर्गमीटर, बिन्दु संख्या 2 में वर्णित रास्ते के काम आने वाली भूमि 640 वर्गमीटर व बिन्दु संख्या 3 में वर्णित रास्ते के काम आने वाली भूमि 540 वर्गमीटर के करीब है। बिन्दु संख्या 1 व 2, 3 में वर्णित भूमियां [illegible] बहुत ज्यादा है तथा प्रार्थीगण के द्वारा बिन्दु संख्या 1 में वर्णित [illegible] है जबकि बिन्दु संख्या 3 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:49:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

वर्णित रास्ता सबसे लघुत्तम है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित किये गये रास्तो के सम्बन्ध में वकील प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता नियमों के अन्तर्गत नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

हमने वकील प्रार्थीगण व वकील अप्रार्थीगण की बहस बहुपक्षीय ध्यानपूर्वक सुनी। बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात् यथा जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस, रिपोर्ट पटवारी हल्का अरनियां व सिमारला जागीर, तहसीलदार श्रीमाधोपुर की मौका जॉच रिपोर्ट मय प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा, डी0 एल0 सी0 दरों इत्यादि का गहनता से अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा ग्राम अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर के आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2349 रकबा 0.39 हैक्टर व खसरा नम्बर 2351 रकबा 0.50 हैक्टर में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 2353 सरकारी भूमि में डामर सड़क अरनियां से कोलवा जाने वाली से होकर खसरा नम्बर 2352 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता चाहा गया है। जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी जॉच रिपोर्ट में अवगत कराया है कि प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने तथा प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम नहीं होना अवगत कराया गया है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रकरण में तीन रास्ते प्रस्तावित किये गये है। जो निम्नानुसार हैः–

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता ग्राम अरनियां की भूमि खसरा नम्बर 2352 में ए से बी तक होकर इसकी लम्बाई 168 मीटर खातेदारी [illegible] व इसके आगे खसरा नम्बर 2353 में बी से सी तक लम्बाई 282 मीटर होकर चारागाह में दर्ज रिकार्ड होना अंकित किया है। इस प्रकार प्रस्तावित रास्ता कुल 450 मीटर लम्बाई में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:49:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

खसरा नम्बर 2352 खातेदारी भूमि होकर इसका रकबा 168 X 4 = 672 मीटर तथा खसरा नम्बर 2353 चारागाह भूमि होकर इसका रकबा 282 X 4 = 1128 मीटर बनता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते का कुल रकबा 1800 मीटर बनता है। जिसमें खसरा नम्बर 2352 में हिस्सा 1/4 के खातेदार सजना देवी पत्नी जगदीश प्रसाद जाति बलाई को पक्षकार नहीं बनाया जाना अंकित किया है।

2. प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 2349 व 2351 मे पहुँच हेतु एक ओर रास्ता ग्राम कोलवा के भूमि खसरा नम्बर 946/146 सिवायचक रास्ता से बनता है जो ग्राम कोलवा के भूमि खसरा नम्बर 147 से होकर ग्राम अरनियां के चारागाह भूमि खसरा नम्बर 2350 में प्रवेश करता है जिसे बिन्दू सं. जी से एच दर्शाया जाकर इसकी लम्बाई 120 मीटर है परन्तु यह रास्ता प्रार्थी की निजी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2349, 2351 तन् ग्राम अरनियां में नहीं पहुँच पाता है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि से 40 मीटर दूरी पर ही रूक जाता है क्योंकि प्रार्थी की निजी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2349, 2351 व उक्त रास्ते के बीच में ग्राम अरनियां की चारागाह भूमि की लम्बाई 40 मीटर है। जिसे बिन्दू सं. एच से आई दर्शाया गया है। इस प्रकार रास्ते की लम्बाई 120 मीटर खातेदारी में तथा 40 मीटर चारागाह में होकर कुल लम्बाई 120 + 40 = 160 मीटर बनती है जिसका रकबा खातेदारी भूमि 120 X 4 = 480 मीटर तथा चारागाह भूमि में 40 X 4 = 160 मीटर होकर कुल रकबा 640 मीटर बनता है।

3. प्रार्थी की भूमि भूमि खसरा नम्बर 2349 व 2351 तन् ग्राम अरनियां में पहुँच हेतु एक रास्ता ग्राम कोलवा के भूमि खसरा नम्बर 124 से होकर जिसे बिन्दु संख्या डी से ई दर्शाया गया है जिसकी लम्बाई 135 मीटर है तथा रकबा 135 X 4 = 540 मीटर बनता है जो ई से एफ खातेदारी रास्ता खसरा नम्बर 978/125 किस्म गै0मु0 रास्ता रकबा 0.0350 हैक्टर में जाकर मिलता है जो सिवायचक रास्ता नहीं है। खातेदारी रास्ता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:49:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उक्तानुसार बिन्दु संख्या 1 में उल्लेखित रास्ते का रकबा 168 X 4 = 672 वर्गमीटर निजी खातेदारी भूमि में तथा 282 X 4 = 1128 वर्गमीटर चारागाह भूमि में होने से कुल 1800 वर्गमीटर रकबा बनता है तथा बिन्दु संख्या 2 उल्लेखित रास्ता का रकबा 120 X 4 = 480 वर्गमीटर निजी खातेदारी भूमि में तथा 40 X 4 = 160 वर्गमीटर चारागाह भूमि में होने से कुल 640 वर्गमीटर रकबा बनता है तथा बिन्दु संख्या 3 में उल्लेखित रास्ता का रकबा 135 X 4 = 540 वर्गमीटर निजी खातेदारी में बनना तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट से प्रकट होता है। इस प्रकार प्रार्थीगण के वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में बिन्दु संख्या 1 व 2 में उल्लेखित रास्ता की भूमि में चारागाह भूमियॉ आने तथा चारागाह भूमियॉ राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में होने से चारागाह भूमियों से प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना सम्भव नहीं है तथा बिन्दु संख्या 3 में उल्लेखित रास्ता की लम्बाई 540 वर्गमीटर होकर सबसे निकटतम व लघुत्तम होना तथा निजी खातेदारी में से रास्ता उपलब्ध होना प्रकट होता है परन्तु वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस अपने द्वारा प्रस्तावित रास्ता जो बिन्दु संख्या 1 में वर्णित है के सम्बन्ध में ही मॉग की गई है। इस बिन्दु संख्या 3 में वर्णित रास्ते के सम्बन्ध में कोई मॉग नहीं की जाना प्रकट होता है। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण को बिन्दु संख्या 3 में वर्णित रास्ता अत्यन्त लघुत्तम व निकटतम होने तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से लगता हुआ होने तथा बिन्दु संख्या ई से एफ में दर्शित रास्ता की किस्म पूर्व से गै0 मु0 रास्ता दर्ज रिकार्ड होकर रास्ते से जुड़ा हुआ होने से अत्यन्त सुगम व सरल होना प्रकट होने से उक्त रास्ता प्रार्थीगण को उपलब्ध कराने बाबत सुझाव दिया गया परन्तु प्रार्थीगण ने उक्त रास्ता लेने से स्पष्ट इंकार कर दिया गया। इस प्रकार बिन्दु संख्या 3 के अतिरिक्त प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं होना तथा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया बिन्दु संख्या 1 का रास्ता दुरस्थ होना प्रकट होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट से बिन्दु संख्या 3 में वर्णित प्रस्तावित रास्ता अत्यन्त लघुत्तम व निकटतम रास्ता होना प्रकट होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:49:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

गये नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित तीन वैकल्पिक रास्तों में से बिन्दु संख्या 3 में वर्णित प्रस्तावित रास्ता सबसे लघुत्तम होना तथा बिन्दु संख्या 1 में वर्णित प्रस्तावित रास्ता सबसे दुरस्थ होकर निरंग चारागाह होना तथा बिन्दु संख्या 1 में वर्णित प्रस्तावित रास्ता की मॉग ही प्रार्थीगण के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में किये जाने से एंव बिन्दु संख्या 1 में वर्णित रास्ता नियमों के अन्तर्गत नियम संगत नहीं होने से प्रार्थीगण को दिया जाना उचित प्रतित नहीं होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपयुर्क्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 को न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 24.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:49:16 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)